



2026:AHC: 57641

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1782 वर्ष 2026

शिवराज और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार जायसवाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार जायसवाल, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मोर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आवेदन पुलिस स्टेशन रबुपुरा, जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 251 वर्ष 2025, भा.द.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मांगने के लिए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जा सके।

3- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक सिविल विवाद को आपराधिकता का रंग दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, कहा जाता है कि आवेदकों ने प्रथम सूचनाकर्ता के पक्ष में संपत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित किया है, जिसे पहले उनके दादा द्वारा बेचा गया था। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त श्रीमती कांति देवी, लाखन सिंह और खुशपाल सिंह को इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 10381 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और वे विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4- दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों ने घायल आरती पर भी हमला किया है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है।

6- सह-अभियुक्त श्रीमती कांति देवी, लाखन सिंह और खुशपाल सिंह को इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 10381 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई है और आवेदकों की भूमिका सह-अभियुक्तों की भूमिका से अलग नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, कहा जाता है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों ने प्रथम सूचनाकर्ता को संपत्ति हस्तांतरित कर दिया है, जिसे पहले उनके दादा द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7- यह कहा जा सकता है कि *सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694* के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त के सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

8- वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण, आवेदक की भूमिका और वाद के सभी उपस्थित तथ्यों और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9- अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10- पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकों - **शिवराज और रविराज** की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदकगण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11- किसी भी शर्त की चूक के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने लिए उपयुक्त आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

20 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)